

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प...मोरीगा.....

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम...मोरीगा...प0ह0...मोरीगा...तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत्...2076-79...में खाता संख्या...84...में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>मोरीगा</u>	<u>खाता संख्या - 84</u>	<u>मन्ना पुन लाल</u>	<u>मन्ताराम पुन</u> <u>पन्ताराम पुन</u> <u>लालाराम</u> <u>किसी भी मन्ताराम</u> <u>का (स्वगत आदेश)</u> <u>न ही दर्ज करें</u>

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड (राजेश कुमार मीणा) जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
दिनांक:- 07/12/2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 696
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021
पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर